के निष्पादित किए जाने हेतु विचाराधीन परियोजनाओं में से निम्नलिखित परियोजनाओं को भी मैसर्स सिद्धकों के साथ समझौते में भागीदारी के आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव है :

(i) थाणे - तुर्भे - नेरूल
वाशी खण्ड

(ii) बेलापुर - पनवेल
दोहरी लाइन

उपर्युक्त संयुक्त उद्यम योजनाओं में कोई विदेशी पूंजी शामिल नहीं है।

रेलवे प्लेटफार्म पर प्याऊ खोलने की योजना

7202. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास रेलवे प्लेटफार्म पर स्वैच्छिक संगठनों/निजी कंपनियों द्वारा प्याऊ खोल सकने से संबंधित कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या-क्या हैं, जहां यह सुविधा उपलब्ध है; और

(ग) क्या सरकार इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष कदम उठा रही है?

रेल मंत्री (श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिये)।

(ग) परम्परा के रूप में रेलें पीने के पानी के लिए विशेषकर गर्मी के मौसम के दौरान यात्रियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्लेटफार्मों पर पानी की कियोस्क (प्याऊ) खोलने के लिए स्वैच्छिक संगठनों/निजी पार्टियों की सहायता स्वीकार करती हैं। इसके अलावा, रेलें इच्छुक व्यक्तियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों या कंपनियों को उनके खर्च पर किसी भी स्टेशन पर जलशीतकों की व्यवस्था करने हेतु अनुमति देने के लिए कहा गया है।

विवरण

उन स्टेशनों के नाम जहां पानी के कियोस्क (प्याऊ) खोले जाने या जल शीतकों की व्यवस्था किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, निम्नलिखित है:

मस्जिद, सैंडहर्स्ट रोड, कुर्ला, विद्याविहार, घाट कोपर, बदलता रोड, माटुंगा, मांडुप, मुलुंड, थाणे, डोम्बीवलि, कल्याण, विट्ठलवाड़ी, उल्हास नगर, भिवण्डी रोड, इगतपुरी, अकोला, चालीसगांव, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, बड़नेरा, हर्पड़ा, न्यू फरक्का, पटना, मोदी नगर, मुजफ्फर नगर, सोनीपत, नरेला, पानीपत, करनाल, नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र, समालखा, रोहतक, गोहावा, जुलना, मान्सा, उचाना, मोर टीहाणा, वरेटा, गुरू हर सहाय, तलवण्डी, गुनियाना, मण्डी डब्वाली, हनुमान गढ़, तहसील पट्टा, अहायपुर, मण्डी आदमपुर, कालनवार, रमन, गुड़गांव, श्रीडूगर गढ़, रत्तन गढ़, सुजान गढ़, लाडून, पाली मारवाड़, नागौर, नोखा, मिलंग, देगाना, गाच्छी पुर, माकलसर, मारवाड़ भीमवाल, डिडवाना, तलवाड़ा झील, महेन्द्र गढ़, मद्रास सैंट्रल, पलवनथंगाल, शिवाकांसी, परभनी, औरंगाबाद, हुबली, दुर्ग, रायगढ़, भाटापाड़ा, रायपुर, बिलासपुर, चम्पा, अनूप नगर, खसिंया, विजय नगरम, झारसुगुड़ा, राऊरकेला, मोण्डिया, डूंगरगढ़, राजनंदगांव, नागदा, विजय नगर, जयपुर, नदबई, झुंझुनू, डेबला, रींगस, श्री माधोपुर, सूरजगढ़ रानी, पलना, जवाली, सोजत रोड, जवाई बंध, पोरबंदर।

Value of Scrap and waste in the Railways

7203. SHRI RAHMAN KHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the method of inventory valuation of the Railways, as shown in the annual report and annual accounts;

(b) how the generation of scrap is being accounted in the annual accounts and whether the inventory includes the value of scrap; and

(c) what is the total amount realised by the Railways from the sale of scrap and waste, zone wise, during 1992-93, 1993-94 and 1994-95?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) "Turn Over Ratio (TOR)" is the main efficiency indicator of inventory performance and is the percentage ratio of the value of Stock held at the close of financial year i.e. 31.3.94 to total material consumed/issued to the indenters during the financial year i.e. 1993-94. The figures given below clarify the inventory valuation for the

year 1993-94.

(Fig. in crores of Rs.)

Railways/Units	Value of stocks held on 31.3.93	Total Issues in 1993-94	Total
Zonal Railways	568.80	1618.89	2%
Production Units	343.27	3849.26	2%
Overall	912.07		2%

(b) Normally scrap is classified into three broad categories (i) Depot scrap, consisting of melting scrap etc. received from workshop and from users on line (ii) Condamned Rolling stock (consisting of coaches, wagons and locos) and (iii) Permanent way Scrap (consisting of Rails and other Permanent ways ferrous materials). Credits realised from the sale of depots scrap is credited to Revenue and reflects accordingly in budget document. The credit from the scale of scrap under categories (ii) and (iii) above i.e. Rails and rolling stock is directly credited to DRF

Inventory includes only that value of scrap which is held by store depots undisposed of at the close of the year as mentioned under category (i) above.

(c) Zone wise position of the amount realised by Railways through the sale of scrap is as under :-

(Figures in crores of Rs.)

Railways	1992-93	1993-94	1994-95
Central Railway	101.72	110.52	115.72
Eastern Railway	89.03	95.65	117.10
Northern Railway	117.56	134.63	180.21
North Eastern Railway	21.44	32.12	42.68
Northeast Frontiei Railway	14.02	21.86	25.61
Southern Railway	57.37	97.36	135.31
South Central Railway	75.35	108.66	116.37
South Eastern Railway	87.02	106.33	120.89
Western Railway	90.16	109.81	121.10
TotaKRailwavs):	653.67	811.94	974.99

Railways	1992-93	1993-94	1994-95
Chittaranjan Locomotive Works	2.58	3.11	3.85
Diesel Locomotive Works	2.26	3.04	3.86
Integral Coach Factory	5.32	5.97	8.55
Diesel Component Works	2.84	4.48	4.35
Wheel & Axle Plani	; 4.26	4.02	4.52
Rail Coach Factory	3.97	5.07	5.07
Metro	4,04	12.04	12.86
Total (Production_ Units):	25.27	37.74	42.76
GRAND TOTAL:	678.94	849.68	1017.75

नई दिल्ली/दिल्ली जंक्शन के स्टेशनों पर कुली

7204. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर कुलियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या भार वहन हेतु उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कुलियों के विरूद्ध अप्रैल, 1994 से अप्रैल, 1995 तक दोनों रेलवे स्टेशनों पर दर्ज की गई शिकायतों की संख्या कितनी है तथा ये शिकायतें किस प्रकार की हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) इस समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1033 तथा नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1478 लाइसेंसधारी भारिक कार्य कर रहें है।

(ख) और (ग) जी हां। लाइसेंसधारी भारिकों को, पुरानी दिल्ली तथा नयी दिल्ली, दोनों ही रेलवे स्टेशनों पर प्रति 40 कि.ग्रा. भार के लिए 5 रूपये भार-प्रभार वसूल करने की अनुमति है।

(घ) अप्रैल 1994 से मार्च 1995 के दौरान पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 21 तथा नयी दिल्ली पर 7 लाइसेंसधारी भारिकों के विरूद्ध,अनारक्षित सवारी डिब्बों में सीट/बर्थ घेरने, सामान गुम कर देने, अधिक प्रभार वसूलने तथा यात्रियों का सामान ले जाने से मना करने जैसे